भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2855

दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम

2855. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, और विशेषकर महाराष्ट्र में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित ब्लॉकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन ब्लॉकों के चयन के लिए अपनाए गए मापदंड क्या हैं और इनके विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है और परभणी जिले सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यांकन के अंतर्गत आंकी गई गरीबी दर का अद्यतन आंकड़ा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों में, विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में गरीबी उपशमन की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गरीबी उपशमन के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में अति गरीब परिवारों को चिह्नित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत विशिष्ट तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के तहत 513 ब्लॉक की पहचान की गई है, जिनमें महाराष्ट्र के 27 ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार -विमर्श के बाद एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर चुना गया था। इस सूचकांक में 'मिशन अंत्योदय' और 'सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना' के डेटा का इस्तेमाल किया गया और स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच ब्लॉकों का आवंटन जनसंख्या (25% भारांक) और प्रति व्यक्ति जीडीपी (75% भारांक) के आधार पर किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य हितधारकों के साथ तालमेल और सहयोग के माध्यम से मौजूदा सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए, कार्यक्रम की प्रत्येक तिमाही में होने वाली 'डेल्टा रैंकिंग' में ब्लॉकों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। एबीपी के तहत दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। एबीपी जिलों और ब्लॉकों के बीच आपसी समझ और बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा करने को बढ़ावा देने के लिए, नीति आयोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं, बेहतरीन तौर-तरीकों पर सेमिनार और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। साथ ही, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक जिले/ब्लॉक के लिए 'केंद्रीय प्रभारी अधिकारी'(सीपीओ) के रूप में नामित किया गया है, जो कार्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा करते हैं।

(ग) से (ड.) परभणी, वाशिम और यवतमाल जिलों में से केवल वाशिम जिला ही 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (एडीपी) का हिस्सा है। इसके अलावा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) में वाशिम और यवतमाल जिलों को शामिल किया गया है। एडीपी के तहत गरीबी से संबंधित कोई आकलन नहीं किया जाता है और न ही यह कार्यक्रम व्यक्तियों/परिवारों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करता है। हालांकि, एडीपी का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से नागरिकों के शासन, जीवन की गुणवत्ता या आर्थिक उत्पादकता में सुधार करना है, जिसकी निगरानी मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम के 3सी मॉडल (अभिसरण, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा) ने एडीपी जिलों में मानव विकास के मुख्य संकेतकों के मामले में विकास की गति को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। भारत सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रही है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और शहरी (पीएमएवाई - यू), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएमएल), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलसंभर विकास घटक (डब्लूडीसी-पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम (एनएफएसए), जल जीवन मिशन (जेजेएम), पीएम स्वनिधि आदि शामिल हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आजीविका के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, सामाजिक सुरक्षा देना, ग्रामीण युवाओं को कौशल सिखाना और बुनियादी ढांचा विकसित करना है।

अनुलग्नक

श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा महाराष्ट्र में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 05.08.2026 के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2855 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ब्लॉकों को दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का विवरण

डेल्टा रैंक	**प्रोत्साहन**	**टिप्पणियाँ**
समग्र		
समग्र स्तर पर प्रथम स्थान	3.0 करोड़ रूपए	
समग्र स्तर पर द्वितीय स्थान	2.0 करोड़ रूपए	
क्षेत्रवार (प्रथम एवं द्वितीय स्थान)		
क्षेत्र-1	2.5 करोड़ रूपए	
क्षेत्र -2	2.5 करोड़ रूपए	
क्षेत्र -3	2.5 करोड़ रूपए	*(प्रथम स्थान के लिए ₹1.5 करोड़ तथा द्वितीय स्थान के लिए ₹1 करोड़)*
क्षेत्र -4	2.5 करोड़ रूपए	
क्षेत्र -5	2.5 करोड़ रूपए	
क्षेत्र -6	2.5 करोड़ रूपए	
प्रति तिमाही कुल	**Rs. 20 करोड़ रूपए**	
